झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-01

विम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 01 चैत्र, 1943 (श0) को 22 मार्च ,2021 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
"क"	449-	मनि-01 श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	कार्यरत स्थिति में रखना।	मंत्रि0(निर्वाचन)	08/03/21
"ख"	451-	का-21 श्री दुलू महतो	स्थानांतरण के संबंध में।	का0प्र0सु0 तथा राज0	08/03/21
"ग"	452-	ग0-58 श्री चमरा लिंडा	दिशा निर्देश जारी करना।	गृह0का0 एवं आपo प्र0	08/03/21
"घ"	453-	म0-01 श्री चमरा लिंडा	प्राथमिकी दर्ज करना।	मंत्रि0सचि0 एवं वि0	08/03/21

नोट :- "क" 449, दिनांक- 15/03/2021 को सदन द्वारा दिनांक- 22/03/21 के लिए स्थगित।

नोट :- "ख" 451, दिनांक- 15/03/2021 को सदन द्वारा दिनांक- 22/03/21 के लिए स्थगित।

नोट :- "ग" 452, दिनांक- 15/03/2021 को सदन द्वारा दिनांक- 22/03/21 के लिए स्थगित।

नोट :- "घ" 453, दिनांक- 15/03/2021 को सदन द्वारा दिनांक- 22/03/21 के लिए स्थगित।

रॉंची
दिनांक- 22 मार्च, 2021(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञापांक- संख्या- प्रश्न- 01/2021-1430 /वि0स0, रॉंची, दिनांक- 18/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2021
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न- 01/2021 1430 वि0स0, राँची, दिनांक- 18/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

उप सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न- 01/2021 1430 वि0स0, राँची, दिनांक- 18/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

उप सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

18/03/2021

सत्यमेव जयते

पंचम
झारखण्ड विधान–सभा

पंचम् (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग– 01

सोमवार, दिनांक– 01 चैत्र 1943 (श०) / 22 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या–04 (चार)

(1)	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	– –	01
(2)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	–	01
(3)	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	– –	01
(4)	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग	– –	01
	कुल योग	–	04

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग।

449- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–15.03.2021 को पूछा गया तारांकित प्रश्न सं०–मंत्रि–01 का उत्तर।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य में मुख्यालय से लेकर ब्लॉक अंचल कार्यालयों में प्रोग्रामर/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कर्मी वर्षों से कार्यरत है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग अन्तर्गत मुख्यालय को छोड़कर अन्य अधीनस्थ निर्वाचन कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित नहीं है, तथापि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में निर्वाचन संबंधी कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम संख्या में अधीनस्थ निर्वाचन कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर कर्मियों की सेवा ली जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने 10 वर्ष कार्य पूर्ण करने वाले कर्मी की सेवा स्थायी करने का प्रावधान किया है ?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा Selection of Manpower Agency to Provide Various Election Office Under Cabinet (Election) Department झारखण्ड के द्वारा टेंडर निर्गत करके वाह्य एजेंसी के माध्यम से उपरोक्त पदों पर बहाली करेगी, जिससे पहले से कार्यरत कई कर्मी की सेवा समाप्त हो जायेगी और पारिश्रमिक भी कम दिया जायेगा ?	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–5535, दिनांक–12.07.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के संबंध में दिये गये निर्देशों के आलोक में विभाग द्वारा प्रतिवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा गया है तथा शेष अन्य कर्मी, जो उक्त सेवा नियमतीकरण नियमावली से आच्छादित नहीं है, को वाह्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वाह्य एजेंसी को कार्य देने के बदले पहले से कार्यरत कर्मी को कार्यरत स्थिति में रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप।

ज्ञापांक–01/नि०(वि०स०)–16–04/2021/533 राँची/दिनांक–13/03/2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1114, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

13/03/2021

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

प्र-46. श्री दुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–21 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि किसी भी विभाग में प्रशासनिक पदाधिकारी को लगातार तीन साल से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रखना है ;	अस्वीकारात्मक । झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 के प्रावधान के अनुसार सेवा के पदाधिकारियों के एक स्थानांतरण/पदस्थापन का कार्यकाल सामान्यतः 03 वर्षों का होगा। सामान्यतः 03 वर्ष की कम अवधि में किसी पदाधिकारी को किसी पदस्थापन से स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य मामले) विभाग के संयुक्त सचिव, श्री विनोद कुमार चौधरी लगातार छः साल से पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 11007 दिनांक 28.12.2015 के द्वारा श्री विनोद कुमार चौधरी को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री विनोद कुमार चौधरी के साथ–साथ पाँच साल से उपर कार्यरत ग्रामीण कार्य विभाग मुख्यालय में पदस्थापित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्थानान्तरण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। कंडिका–1 में वर्णित स्थानांतरण की कालावधि सामान्यतया है। सरकार सचेष्ट है तथा आवश्यकतानुरूप कार्यहित में पदाधिकारियों के स्थानांतरण/ पदस्थापन का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–04/2021 का. 1560 / राँची, दिनांक 10 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1141 वि.स. दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

T- 452- श्री चमरा लिण्डा, मा०स०वि०स० के ~~द्वारा~~ दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–58 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 में प्रावधान है कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस धारा में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष पर प्रभाव नहीं डालेगी अर्थात् इस धारा के तहत विशेष अधिनियमों पर इस संहिता का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक उसमें इस बाबत कोई उपबंध नहीं हो ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि अनु०जाति/अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 एक विशेष कानून है एवं इसमें द०प्र०सं० की धारा 41ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अनुजाति/अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में जाँच अधिकारी के द्वारा अभियुक्तों को द०प्र०सं० की धारा 41ए का लाभ दिया जा रहा है ;	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कंडिका (4) में उल्लेखित कांड में अभियुक्त को 41A का नोटिस दिया गया था।
4	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के तहत रातू थाना कांड सं0–289/2020 में आरोप की पुष्टि के बाद भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रातू थाना काण्ड सं०–289/20, दिनांक–18.09.2020, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा–3 (1)(f)(g) के प्राथमिकी अभियुक्त 1. द्वारिका प्रसाद, पे०–बासुदेव प्रसाद एवं 2. अनुपम प्रसाद, पे०–द्वारिका प्रसाद, सा०–संजय कॉलोनी, थाना–रातू, जिला–राँची को द०प्र०सं० की धारा–41A के अंतर्गत नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं०–276/20, दिनांक–15.11.2020 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनु०जाति/अन०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तों को द०प्र०सं० की धारा 41ए के प्रावधानों का लाभ नहीं देने हेतु अधीनस्त अधिकारियों को दिशा निदेश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मामला माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। न्याय निर्णय के पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–13/2021– 1517 / राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1137, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

T-459- श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–म0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेश से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रातू अंचल के रातू मौजा स्थित प्लॉट न0–3106 एवं 3107 रकवा 1.86 एकड़ तथा बड़ागांई अंचल के गाड़ी मौजा स्थित प्लॉट न0–54, रकवा 1.87 एकड़ भूमि की अवैध अंतरण की जाँच हेतु पी0ई0 सं0–37/2013 दर्ज किया गया था;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि जाँचोपरान्त उक्त मामले से संबंधित अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक विषयगत मामला सरकार के विचाराधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पी0ई0 न0–37/2013 में प्राथमिकी दर्ज करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी)।

ज्ञापांक–02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–01/2021..363....राँची, दिनांक..13/03/2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
12/03/2021
(रवीन्द्र रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 01 चैत्र, 1943 (श०) / 22 मार्च, 2021 (ई०) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सा०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
709.	का–23	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	छात्र-छात्राओं को राहत देना	कार्मिक,प्र०सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
710.	का–24	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कर्मचारी/पदाधिकारी का पदस्थापन	कार्मिक,प्र०सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
711.	ग–39	श्री भानु प्रताप शाही	दोषियों पर कानूनी कार्रवाई	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.2021
712.	का–20	श्रीमती ममता देवी	द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करना	कार्मिक,प्र०सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
713.	वाणि–02	श्री अमित कुमार मंडल	कार्रवाई करना	वाणिज्यकर	10.03.2021
714.	ग–57	श्री सरयू राय	पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021
715.	ग–63	श्री अमित कुमार यादव	शामिल करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.03.2021
716.	का–17	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	संरक्षण देना	कार्मिक,प्र०सुधार तथा राजभाषा	07.03.2021
717.	ग–62	श्री मनीष जायसवाल	अनिवार्यता को समाप्त करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	12.03.2021
718.	ग–47	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2021
719.	का–19	श्री भानु प्रताप शाही	पद सृजन करना	कार्मिक,प्र०सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021

राँची
दिनांक–22 मार्च, 2021ई०

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(P.T.O)

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-.....1429...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/2021

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-.....1429...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/2021

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव,प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-.....1429...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/03/2021

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

17/3/21

चम्पा/

709

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का० 23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि सरकार स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को अधिक संख्या में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने हेतु संकल्पित है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकार की राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं में 60 प्रतिशत पद आरक्षण के आधार पर झारखण्ड के ही लोगों के द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। संकल्प सं0 9567 दिनांक 11.11.2016 के अनुसार गैर अनुसूचित जिलों, प्रमण्डल स्तरीय पदों एवं राज्य स्तरीय पदों की रिक्तियों को भरने के लिए, जहाँ भर्ती के लिए आवेदन के निमित्त निवास स्थान विषयक को बंधेज नहीं है, में जिला स्तरीय/प्रमण्डल स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' तथा राजस्तरीय समूह 'ग' के नियोजन में अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal) होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान संसूचित है।
02	क्या यह बात सही है झारखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अन्य भाषाओं की तरह क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के अंक समान सुनिश्चित थे, जिसे सरकार ने घटाकर 100 अंक कर दिये पुनः संशोधन कर 150 अंक किये गये हैं, जिससे स्थानीय जनजातीयों के छात्र/छात्राओं का अंक प्रतिशत कम हो जाएगा एवं सामान्य अभ्यर्थियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा;	अस्वीकारात्मक। (क) श्री वी० एस० दूबे, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 9477 दिनांक 25.09.2013 के माध्यम से छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा में पत्र 2 के रूप में 100 पूर्णांक का 'भाषा एवं साहित्य' विषय सम्मिलित था, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित 15 भाषाओं में से 01 भाषा चुनने का विकल्प उपलब्ध था– i. बंगाली भाषा एवं साहित्य ii. अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य iii. हिन्दी भाषा एवं साहित्य iv. हो भाषा एवं साहित्य v. खड़िया भाषा एवं साहित्य vi. खोरठा भाषा एवं साहित्य vii. कुरमाली भाषा एवं साहित्य viii. कुँड़ुख भाषा एवं साहित्य ix. मुण्डारी भाषा एवं साहित्य x. नागपुरी भाषा एवं साहित्य xi. ओड़िया भाषा एवं साहित्य xii. पंचपरगनिया भाषा एवं साहित्य xiii. संस्कृत भाषा एवं साहित्य xiv. संथाली भाषा एवं साहित्य xv. उर्दू भाषा एवं साहित्य (ख) तदोपरान्त तदेन माननीय मंत्री श्री सरयू राय कि अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0

		3143 दिनांक 13.04.2016 के माध्यम से संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के पत्र 2 भाषा एवं साहित्य के पूर्णांक को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुरूप ही संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 का आयोजन किया गया था। (ग) विभागीय अधिसूचना संख्या 162 दिनांक 08.01.2021 द्वारा नवगठित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में मुख्य परीक्षा के पत्र 2 (जिसमें अभ्यर्थियों को निम्नांकित 15 भाषाओं (क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा सहित) में से 1 भाषा चुनने का विकल्प दिया गया है) का पूर्णांक 150 रखा गया है– i. ओड़िया भाषा एवं साहित्य ii. बंगाली भाषा एवं साहित्य iii. उर्दू भाषा एवं साहित्य iv. संस्कृत भाषा एवं साहित्य v. अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य vi. हिन्दी भाषा एवं साहित्य vii. संथाली भाषा एवं साहित्य viii. पंचपरगनिया भाषा एवं साहित्य ix. नागपुरी भाषा एवं साहित्य x. मुण्डारी भाषा एवं साहित्य xi. कुँड़ुख भाषा एवं साहित्य xii. कुरमाली भाषा एवं साहित्य xiii. खोरठा भाषा एवं साहित्य xiv. खड़िया भाषा एवं साहित्य xv. हो भाषा एवं साहित्य
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की अनिवार्यता 300 अंक कर स्थानीय जनजातीय छात्र/छात्राओं को राहत देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–16/2021 का0 1749 /राँची दिनांक– 18 मार्च, 2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1183 दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार) 18/3/21
सरकार के अवर सचिव।

710

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का– 24 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल के आयुक्त कार्यालय में सचिव से लेकर सृजित पदधारक पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध पद खाली रहने के कारण कार्यालय कार्य में कठिनाई हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में अंकित पदाधिकारी/कर्मचारी के नहीं रहने के कारण बड़े एवं छोटे वाहनों का परमिट चालान की राशि जमा करने के बावजूद परमिट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जनहित का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है ;	स्वीकारात्मक। सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का पद रिक्त रहने के फलस्वरूप परमिट का कार्य अवरूद्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू प्रमण्डल कार्यालय में यथाशीघ्र सचिव सहित पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन कर जनहित के कार्यों का निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार सचेष्ट है। कार्यहित में आवश्यकतानुसार एक माह की अवधि में रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–05/2021 का. 1726 / राँची, दिनांक 18 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1181 वि.स. दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

(711)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–39 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखण्ड केतार अंतर्गत ताली गाँव निवासी 67 वर्षीय विचाराधीन बंदी श्री रघुनी साव का जेल अभिरक्षा में मृत्यु हुई है ?	अस्वीकारात्मक। विचाराधीन बंदी रघुनी साव, उम्र–67 वर्ष, पे० स्व० जोगी साव, सा०–ताली, थाना–केतार, जिला, गढ़वा का दिनांक–15.02.2021 को संध्या–05.12 बजे सदर अस्पताल, गढ़वा में ईलाज के दौरान मृत्यु हुई है। (मंडल कारा, गढ़वा का पत्रांक–422, दिनांक–02.03.2021 दृष्टव्य)
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जेल अभिरक्षा में श्री साव का हुए मृत्यु की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	श्री रघुनी साव के मृत्यु से संबंधित मैजिस्टेरियल जांच अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, गढ़वा से करायी गयी, जिसमें मृत्यु का कारण रैप्चर ऑफ हार्ट से हुआ है। अतः Natural Death में मुआवजा का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2021–1502./ राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–447, दिनांक–26.02.21 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(712)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन सं०–2/2011 के तहत JAP-2 से JAP-9 तक 1020 पदों के लिए हुई बहाली का प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन 2015 में हुआ तथा कुछ पद रिक्त रह गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कुल 1020 चयनित अभ्यर्थियों में से मात्र 700 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया और शेष 320 रिक्त पदों को भरने के लिए सफल अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विज्ञापित 1020 पदों के विरूद्ध 864 चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान किया गया। 156 चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन के तहत 156 पद रिक्त रह गयी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जैप–2 से जैप–9 तक की हुई बहाली के रिक्त पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित कर रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची का आदेश ज्ञापांक–3466/पी०, दिनांक–04.12.2015 के द्वारा यह निदेश निर्गत है कि "विभागीय आरक्षी नियुक्ति नियमावली–2014 अधिसूचित होने के पूर्व झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिला/इकाई/वाहिनी में आरक्षी बहाली हेतु निर्गत सभी विज्ञापनों एवं उससे संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को कालबाधित मानते हुए उक्त विज्ञापनों के तहत प्राप्त नियुक्ति सम्बंधी अभ्यावेदनों पर अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।" साथ ही आरक्षी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–02/2011 के पश्चात् विज्ञापन सं0 सं0–04/15 के माध्यम से झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के विभिन्न वाहिनियों के आरक्षी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। सम्प्रति विज्ञापन सं०–02/2011 के तहत द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–10/2021–1627/ राँची, दिनांक–20/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1184, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(714)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–57 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मई 2015 में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा राज्यव्यापी बंद की पूर्व रात्रि में पूर्वी सिंहभूम के मानगो में एक बस जला दी गई थी, जिसमें झा.मु.मो. के योगेन्द्र निराला एवं अन्य को बस जलाने का आरोपी बनाकर पुलिस पे प्राथमिकी दर्ज किया, परंतु आरोप साबित नहीं हुआ ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह घटना मई 2016 में घटित हुआ है। दिनांक–14.05.2016 को आन्दोलनकारियों द्वारा एकमत होकर बस में आग लगाकर क्षति पहुँचाने के आरोप में मानगो (ओलीडीह थाना) काण्ड संख्या–167/2016, दिनांक–14.05.2016, धारा–143/149 /427/436/भा०द०वि० एवं 04 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एक्ट–1984 पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्राथमिकी के तीन नामजद अभियुक्त (योगेन्द्र सिंह निराला सहित) एवं तीन अज्ञात के विरूद्ध काण्ड दर्ज किया गया था। काण्ड के अनुसंधान में आये तथ्यों के आलोक में काण्ड के सभी आरोपियों के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन संख्या–138/2018, दिनांक–20.12.2018 साक्ष्य की कमी समर्पित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि आजतक पुलिस ने बस जलाने के अभियुक्त का पता नहीं किया एवं बस जलने के स्थान पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे को अनुसंधान का आधार नहीं बनाया ;	अस्वीकारात्मक। बस जलने के स्थान पर लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज के सी०डी० में कैद चलचित्र का अनुसंधान के दौरान विश्लेषण/अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि कैमरे से कुछ दूरी पर बस खड़ी है, जिसमें बस का नम्बर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ बस में लगा हुआ आग की लपटें दिखाई दे रहा है। बस में आग लगाने वाले किसी भी व्यक्ति का चित्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि आरक्षी महानिदेशक एवं गृह सचिव के कई लिखित निर्देशों के बावजूद पुलिस ने इस कांड के आरोपियों को चिन्हित नहीं किया और न कांड की सी.आई.डी. जाँच हुई ;	उपलब्ध गवाह तथा सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया गया परंतु फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पायी। काण्ड में सी०आई०डी० की जाँच नहीं हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बस जलाने के दोषियों को चिन्हित नहीं करने एवं कांड का अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–13/2021–1349/ राँची, दिनांक–20/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1179, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(715)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०से० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–63 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत टाटीझरिया थाना का गठन वर्ष 2009 में हुआ था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में टाटीझरिया प्रखण्ड के खैरा, झरपो और भराजो पंचायत के सभी गांव ईचाक थाना अंतर्गत आते है, जिससे आम जनता को काफी कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में टाटीझरिया प्रखण्ड के खैरा, झरपो और भराजो पंचायत के सभी गांवों को ईचाक थाना से हटाकर टाटीझरिया थाना में शामिल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ईचाक थाना मुख्यालय से खैरा, झरपो और भराजो पंचायत की दूरी 17–30 कि०मी० के बीच की है और टाटीझरिया थाना मुख्यालय से खैरा, झरपो और भराजो पंचायत की दूरी 08–12 कि०मी० के बीच की है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ईचाक थाना अन्तर्गत पड़ने वाले खैरा, झरपो और भराजो पंचायत एवं उनके गाँव को टाटीझरिया थाना में शामिल किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त, उ०छो०प्रमण्डल, हजारीबाग, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

झापांक–16/वि०स०–16/2021–1626/ राँची, दिनांक–20/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके झापांक–1354, दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(716)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला अन्तर्गत ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के भगैया, मानिकपुर एवं मालमझरों में सरवरिया जाति निवास करती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि विभाग के पत्र सं0–9963, दिनांक–20.11.2015 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विस्तृत अनुदेश निर्गत है तथा राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 द्वारा संख्या 4650 दिनांक–02.06.2016 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निर्देश जारी किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, कि निर्गत निर्देश में सरवरिया जाति का कहीं कोई वर्णन नहीं होने के कारण इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक के द्वारा समर्पित किए जाने वाले भू–अभिलेख में अंकित जाति राज्य की जिस जाति सूची में सूचीबद्ध हो, उसे उस जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। सरवरिया जाति राज्य की किसी भी जाति सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विलुप्त होने वाली सरवरिया जाति को अनुसूचित जन जाति का दर्जा देकर संरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	किसी जाति का नाम राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु विचार के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ही सक्षम प्राधिकार है। इस संबंध में राज्य सरकार अपना मन्तव्य एवं अनुशंसा ही केन्द्र सरकार को प्रेषित कर सकती है। यह मन्तव्य डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन/मन्तव्य पर आधारित होगा। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन/मन्तव्य पर सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–21/2021 का0–1795 /रांची, दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1057, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग मे 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–62 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि सरकार द्वारा राज्य में आम व्यक्तियों को भी अपने आत्म रक्षार्थ शस्त्र का अनुज्ञा–पत्र (लाइसेंस) देने का प्रावधान है जिसके लिए व्यक्तियों (आवेदकों) को उक्त लाइसेंस प्राप्त करने की अहर्ता के रूप में राज्य के किसी राइफल क्लब का सदस्य होना अनिवार्य है ;	अस्वीकारात्मक। अनुज्ञापन प्राधिकारी शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 उप–धारा (3) के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुसूची 1 में प्रवर्ग 3 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय आयुध या गोला बारूद के लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पुलिस रिपोर्ट पर और अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर निम्नलिखित के आवेदन पर विचार कर सकेगा (क) कोई व्यक्ति जो अपने कारबार, वृत्तिक या धंधा की प्रकृति द्वारा अपने जीवन और/या संपत्ति की सुरक्षा की वास्तविक अपेक्षा के लिए; या (ख) कोई समर्पित खेल व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी निशानेबाजी क्लब या किसी राइफल एसोसिएशन का कम से कम दो साल में सक्रिय सदस्य है और जो किसी संरचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया में लक्ष्य के अभ्यास के लिए खेल निशानेबाजी को करना चाहता है; या (ग) रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल में सेवारत या सेवा की हैं, कोई व्यक्ति और जिनके जीवन और/या संपत्ति की रक्षा की वास्तविक अपेक्षा है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–01 में वर्णित क्लब का सदस्यता शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 25 हजार रूपये या मनमानी राशि आवेदकों को सदस्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु जमा करना होता है जो एक बहुत बड़ी राशि है ;	सम्प्रति ऐसा मामला संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में उपायुक्त से प्रतिवेदन से मांग की गयी है, जो अद्यावधि अप्राप्त है। अगर उपायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन से ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो नियमसम्मत् अग्रेतर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में राज्य में शस्त्रों के अनुज्ञा–पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त करने हेतु खण्ड–01 में वर्णित क्लब के सदस्यता की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–715/2021–1625/ रॉंची, दिनांक–20/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1229, दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(718)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि 19 फरवरी–2021 को देवघर जिला के होमगार्ड शालीग्राम यादव की मौत पुलिस हिरासत में हुई है ;	अस्वीकारात्मक। गृहरक्षक शालीग्राम यादव की मृत्यु ईलाज के दौरान सदर अस्पताल, देवघर में हुई है।
2	क्या यह बात सही है, कि शालीग्राम यादव किसी केस में वांछित न रहते हुए भी मोहनपुर थाना के पुलिस अधिकारी ने उनका बेटा के बदले आरक्षी अधीक्षक–कार्यालय, देवघर से जबर्दस्ती उठाकर मोहनपुर थाना लाया था ;	मृतक शालीग्राम यादव का पुत्र सुनील यादव देवघर महिला थाना काण्ड सं0–05/21, दिनांक–13.02.2021, धारा–342/323/363/376डी0/506/34 मा0द0वि0 एवं 3(10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में वांछित है तथा इनके फरार रहने की स्थिति में गठित SIT टीम के पुलिस पदाधिकारी पु०अ०नि० यशवंत कुमार सिंह द्वारा काण्ड के अनुसंधान में सहयोग हेतु गृहरक्षक शालीग्राम यादव (मृतक) को पूछताछ हेतु मोहनपुर थाना लाया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि उनके परिवार के लोग पुलिस जाँच के अलावे किसी अन्य उच्चस्तरीय जाँच की भी मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके;	अस्वीकारात्मक। मोहनपुर थाना, यू०डी० काण्ड सं0–06/21, दिनांक–20.02.2021 वादी अमित कुमार, पु०अ०नि० मोहनपुर थाना–देवघर, पिता–नागेन्द्र प्रसाद, सा०–रूकुनपुर, थाना–गुरारू, जिला–गया (बिहार) के बयान पर अंकित किया गया है। मृतक शालीग्राम यादव की पत्नी ललिता देवी एवं उनके परिजनों द्वारा दिनांक–02.03.2021 को मोहनपुर थाना में अपने पति की मृत्यु के संबंध में थाना स्तर से जाँच करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसी अन्य एजेंसी से उक्त घटना की जाँच कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (बजट) सत्र–106/2021–1348/ राँची, दिनांक–26/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–833, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।